कार्यालय नगर परिषद रामपुर बाघेलान जिला-सतना (म.प्र.)

Office No- 07672-271336 E-mail:-cmorampurbaghelan@mpurban.gov.in

क्र./2394/न.प./स्था./दि.भर्ती/2024 रामपुर बाघेलान दिनांक 14/8/24

//विज्ञापन//

माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर की रिट याचिका क्र. 7275/2019 में पारित आदेश दिनांक 30.01.2024 म.प्र. शासन सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र क्र./एफ–7–19/2019/आ.प्र./1 दिनांक 14.02.2024 मध्यपदेश शासन नगरीय विकास एवं आवास विभाग के पत्र क्र. 675/16017123/2023/18–1 दिनांक 16.02.2023 संचालनालय नगरीय प्रशासन एवं विकास म.प्र. भोपाल के पत्र क्रमांक/स्था./एक/201/प्र.शि./2024/3780 भोपाल दिनांक 26.02.2024 तथा मध्यप्रदेश सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन के पत्र क्र./8–2/2013/आ.प्र./एक भोपाल दिनांक 04.01.2024 एवं अन्य पत्रों में दिये गये निर्देशानुसार विशेष भर्ती अभियान के तहत् दिव्यांगजनों के लिये 01 पद स्वच्छा संरक्षक नियमित एवं 01 पद संविदा के आरक्षित पद/पदों की पूर्ति वॉक इन इंटरव्यू के माध्यम से की जाना है। इस हेतु निर्धारित योग्यता एवं आर्हता रखने वाले अभ्यर्थी नीचे दर्शाये गये निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र भरकर दिनांक 31.08.2024 तक कार्यालयीन समय 06:00 सायंकाल तक आवेदन पत्र प्रेषित करें, निर्धारित समयावधि में आवेदन पत्र प्राप्त न होने के स्थिति में उन पर विचार नहीं किया जावेगा। डाक के माध्यम से विलंब से प्राप्त आवेदन पत्र के लिये निकाय/कार्यालय उत्तरदायी नहीं होगा। दिव्यांगजन हेतु आरक्षित रिक्त पद का विवरण वेतनमान निर्धारित योग्यता एवं वॉक इन इन्टरव्यू के लिये निर्धारित तिथि की जानकारी निम्नानुसार है।

स. क्र.	पद का नाम	पद की श्रेणी	वेतनमान	दिव्यांगजनों के लिये आरक्षित वर्गवार रिक्तियां				निर्धारित योग्यता	वॉक इन इंटरव्यू हेतु निर्धारित तिथि
				दृष्टिबाधित और कम दृष्टि	बहरे और कम सुनने वाले	लोकोमोटर डिसेबिलिटी जिसमें सम्मिलित है, सेरेब्रलपाल्सी, कुष्ठरोग मुक्त, बौनापन, एसिड अटैक पीड़ित, मसकुलर डिस्ट्राफी	ऑटिज्म, बौद्धिक दिव्यांगता, स्पेसिफिकलर्निंग डिसेबिलिटी और मानसिक बीमारी और बहुविकलांगता		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	सफाई संरक्षक (नियमित)	चतुर्थ श्रेणी	15500–49000 (लेवल 1)	00	01	00	00	05वीं उत्तीर्ण	वॉक इन इंटरव्यू हेतु तिथि की जानकारी पृथक से दी जावेगी।
2	सफाई संरक्षक (संविदा)	चतुर्थ श्रेणी	8000.00 एवं कलेक्टर दर अकुशल	00	01	00	00	05वीं उत्तीर्ण	वॉक इन इंटरव्यू हेतु तिथि की जानकारी पृथक से दी जावेगी।

मुख्य शर्तः–

1. आवेदक को मध्यप्रदेश का मूल निवासी होना अनिवार्य है।
2. समस्त प्रमाण पत्रों को सक्षम अधिकारी अथवा स्वयं सत्यापित करने उपरांत प्रमाण पत्रों की प्रति संलग्न प्रेषित की जाये।
3. मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय के परिपत्र क्र. सी 3–38/16/1/3 भोपाल, दिनांक 04 जुलाई 2019 अनुसार अभ्यर्थी की न्यूनतम आयु 18 वर्ष अधिकतम 40 वर्ष आरक्षित वर्ग–अनु.जा., अनु. जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, शासकीय/निगम/मण्डल/स्वशासी संस्था के कर्मचारियों/नगर सैनिक निःशक्तजन/महिलाओं (अनारक्षित/आरक्षित आदि के लिये 18 से 45 अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट) होगी।
4. मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश क्रमांक सी–3–8/2016/3–एक भोपाल दिनांक 12 मई 2017 एवं परिपत्र क्रमांक सी 3–38/16/1/3 भोपाल दिनांक 04 जुलाई 2019 अनुसार आवेदक का मध्यप्रदेश राज्य के रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य है।
5. आवेदक को वॉक इन इंटरव्यू/साक्षात्कार के समय सभी प्रमाण पत्रों की मूल प्रति साथ लाना अनिवार्य है।

CamScanner

6. दिव्यांगता डिजिटल प्रमाण–पत्र की अनिवार्यता दिनांक 01.08.2021 से लागू की गई है। अतः उक्त तिथि के पूर्व जारी मेनुअल दिव्यांगता प्रमाण पत्र भी मान्य होगा।
7. डिजिटल जाति मूल निवासी प्रमाण पत्र/जाति प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया ही मान्य होगा।
8. वॉक–इन–इन्टरव्यू के लिये आने वाले आवेदकों को किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।
9. अधूरे तथा अस्पष्ट आवेदन पत्र पर कोई विचार नही किया जायेगा।
10. भर्ती से संबंधित जानकारी एवं शर्तें कार्यालयीन समय में निगम/निकाय से प्राप्त की जा सकती है।
11. यह कि जिस आवेदक का विवाह निर्धारित न्यूनतम आयु (पुरूष वर्ग के लिये 21 वर्ष एवं महिला वर्ग के लिये 18 वर्ष) के पूर्व हो गया हो तो उसे उक्त पदो के लिये अयोग्य माना जावेगा।
12. यह सुनिश्चित करने की जिम्मेवारी स्वयं आवेदक की होगी कि वह आवेदित पद के लिये निर्धारित समस्त आर्हताओं और शर्तों को आवेदन पत्र में प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि पूर्ण करता है।
13. आवेदन पत्र में कोई जानकारी अपूर्ण, असत्य या त्रुटि पूर्ण पाई जाती है, अथवा वांछित प्रमाण पत्र संलग्न नहीं किया जाता है, तो उसके आधार पर आवेदक को पूर्व सूचना दिये बिना उसका आवेदन पत्र किसी भी स्तर पर निरस्त किया जा सकता है।
14. सीधी/बैकलॉग के पदों पर आवेदक राष्ट्रीय पेंशन 2005 अन्तर्गत नियुक्त होंगे।
15. मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र दिनांक 30.06.2014 के अनुसार वर्गवार आरक्षण न करते हुये दिव्यांगजनों की श्रेणी के आधार पर आरक्षण किये जाने से विशेष पिछड़ी जनजातियों (सहरिया/सहरिया, भारिया एवं बैगा) महिलाओं एवं भूतपूर्व सैनिक श्रेणी के आवेदकों को पृथक से आरक्षण का लाभ प्राप्त नहीं होंगा।
16. ऐसे समस्त आवेदन पत्र जो अपूर्ण हैं, एवं विहित प्रारूप में नहीं है, वे निरस्त कर दिये जायेंगे। अभिलेखों को कूटरचित किया हो या ऐसे अभिलेख प्रस्तुत किये गये हैं, जो रूपान्तरित किये गये हों वे भी निरस्त कर दिये जायेंगे, साथ ही ऐसे विवरण दिये गये हों जिसमें ऐसी तात्विक जानकारी छिपाई गई हो, जो चयन के लिये आवश्यक हो तो ऐसे आवेदन पत्र भी निरस्त कर दिये जायेंगे।
17. दिव्यांगजनों के लिये आरक्षित पदो के विरूद्ध चयनित होने वाले अभ्यर्थियों का उनके लिये जिला स्तर पर गठित मेडिकल बोर्ड से मेडिकल परीक्षण कराकर यह सुनिश्चित होने के पश्चात के वे वास्तव में विकलांग है, यह जिला मेडिकल बोर्ड द्वारा प्रमाणित किये जाने के उपरान्त ही नियुक्ति आदेश जारी किये जायेंगे।
18. यह कि दिव्यांगजनों के लिये आरक्षित पदो के विरूद्ध चयनित होने वाले अभ्यर्थियों के लिये निःशक्तता का प्रतिशत 40 प्रतिशत या अधिक पाये जाने पर ही कार्यभार ग्रहण कराया जायेगा।
19. शासन के आदेश के अनुसार कोई भी अभ्यर्थी जिसके 02 से अधिक जीवित सन्तान हैं, जिनमें से 01 का जन्म 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात हुआ है, तो ऐसा अभ्यर्थी नियुक्ति हेतु पात्र नहीं होगा, लेकिन यदि 01 बच्चा जीवित है, और बाद के प्रेसों में 02 या अधिक सन्तानें जन्म लेती हैं, तो उन्हें अयोग्य नहीं माना जावेगा।
20. मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक सी. 3–13/2019/3/एक भोपाल दिनांक 12 दिसम्बर 2019 के अनुसार सीधी भर्ती के तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के पदों पर चयन होने पर अभ्यर्थी 03 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर नियुक्त होगा, परिवीक्षा अवधि में अभ्यर्थी को प्रथम वर्ष 70 प्रतिशत, द्वितीय वर्ष 80 प्रतिशत एवं तृतीय वर्ष 90 प्रतिशत राशि स्टायपेंड के रूप में दी जायेगी।
21. दिव्यांगजनों हेतु चिन्हांकित संविदा के पदों पर भर्ती संबंधी कार्यवाही मध्यप्रदेश नगर पालिका संविदा (अनुबंध तथा सेवा की शर्तें) सेवा नियम 2021 में विहित प्रावधान अनुसार की जावेगी।
22. नियुक्त से संबंधित सभी अधिकारी नियुक्ति प्राधिकारी के पास सुरक्षित होंगे।

मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर परिषद रामपुर बाघेलान
जिला सतना (म.प्र.)

CamScanner

पृ. क्र./2395 /न.प./स्था./दि.भर्ती./2024 रामपुर बाघेलान दिनांक 14/8/24

प्रतिलिपि :—

1. आयुक्त महोदय, नगरीय प्रशासन एवं विकास म.प्र. भोपाल की ओर सूचनार्थ।
2. आयुक्त महोदय रीवा संभाग रीवा की ओर सूचनार्थ ।
3. कलेक्टर महोदय, जिला सतना की ओर सूचनार्थ।
4. संभागीय संयुक्त संचालक महोदय, नगरीय प्रशासन एवं विकास रीवा संभाग रीवा की ओर सूचनार्थ।
5. जिला परियोजना अधिकारी जिला शहरी विकास अभिकरण सतना की ओर सूचनार्थ।
6. अध्यक्ष महोदय, नगर परिषद रामपुर बाघेलान की ओर सूचनार्थ।
7. कार्यालयीन सूचना पटल—जनपद पंचायत सूचना पटल/अनुविभागीय अधिकारी/तहसीलदार/महिला बाल विकास/सार्वजनिक स्थलो पर सर्वसाधारण को सूचना चस्पा हेतु।
8. संपादक, दैनिक समाचार पत्र .... की ओर लेखकर विज्ञापन का प्रकाशन अपने समाचार पत्र में 01 दिवस न्यूनतम साइज में स्पष्ट अक्षरों में प्रकाशित कर, शासन द्वारा निर्धारित दर अनुसार भुगतान किया जावेगा। समाचार की 05 प्रतियां कार्यालय में देयक के साथ उपलब्ध करावें।

मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर परिषद रामपुर बाघेलान
जिला सतना (म.प्र.)

CamScanner